

प्रेषक,

लीना जौहरी,
सचिव एवं राहत आयुक्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
सहारनपुर।

राजस्व अनुभाग-10

लखनऊ: दिनांक: 09 जनवरी, 2015

विषय: वर्ष 2013-14 में बाढ़/अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसम्पत्तियों की पुनर्स्थापना हेतु अवशेष धनराशि का राज्य आपदा मोचक निधि से धनावंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्ष 2013 की बाढ़ से क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसम्पत्तियों की मरम्मत के लिए शासनादेश संख्या-147/1-10-2014-12(36)/2013, दिनांक 25.02.2014 द्वारा लोक निर्माण विभाग के 06 कार्यों हेतु रू० 62.115 लाख, 08 कार्यों हेतु रू० 109.46 लाख एवं एक कार्य हेतु रू० 16.125 लाख की धनराशि स्वीकृत की गयी थी, जिसका विवरण निम्नवत् है :-

क्र०सं०	कार्य का नाम	लागत (लाख रू० में)	प्रथम किश्त के रूप में आवंटित धनराशि (रू० लाख में)
	लोक निर्माण विभाग, सहारनपुर के कार्य		
1	सरसावा कुण्डा कुण्डी नवादा समसपुर मार्ग	11.40	5.70
2	टाबर से मंधौर मार्ग	22.04	11.02
3	नकुड़ शाहजहाँपुर किमी० 4 से टाबर मार्ग	22.75	11.375
4	हैदरपुर से बिन्नाखेड़ी	17.70	8.85
5	लखनौती सिराजपुर मार्ग	10.49	5.245
6	कलानौर से ढिक्का टपरी मार्ग	39.85	19.925
	योग	124.23	62.115

क्र०सं०	कार्य का नाम	लागत (लाख रू० में)	प्रथम किश्त के रूप में आवंटित धनराशि (रू० लाख में)
	लोक निर्माण विभाग, निर्माण खण्ड-3 सहारनपुर के कार्य		
1	पठेड़ नानौली किमी० 4 से दौलतपुर मार्ग	10.00	05.00
2	धौलाहेड़ी से नारायणपुर गुर्जर मार्ग	11.73	5.865
3	सलेमपुर गदा से नानौली मार्ग	35.00	17.50
4	सढौली कदीम से सढौली भूड	39.50	19.75
5	चिलकाना सरसावा मार्ग के किमी० 8 से इब्राहिमी मार्ग	29.81	14.905
6	हैदरपुर से बिन्नाखेड़ी	26.82	13.41

7	लखनौती सिराजपुर मार्ग	23.29	11.645
8	नकुड़ से रानीपुर मार्ग पर बाढ़ से क्षतिग्रस्त सड़क की मरम्मत का कार्य	42.77	21.385
	योग	218.92	109.46
	लोक निर्माण विभाग, सहारनपुर के कार्य		
1	ग्राम अलीपुरा के सम्पर्क मार्ग पर क्षतिग्रस्त कोजवे का पुनः निर्माण	32.25	16.125
	योग	32.25	16.125

2- अग्रेत्तर शासनादेश संख्या-240/1-10-2014-12(36)/2013, दिनांक 04.03.2014 द्वारा लोक निर्माण विभाग के 05 कार्यों हेतु रू0 83.9825 लाख की 25 प्रतिशत धनराशि स्वीकृत की गयी थी, जिसका विवरण निम्नवत् है :-

क्र०सं०	कार्य का नाम	लागत (लाख रू० में)	प्रथम किश्त के रूप में आवंटित धनराशि (रू० लाख में)
	अधि०अभि०, लो०नि०वि०, निर्माण खण्ड-3 सहारनपुर के कार्य		
1	कुण्डी नवादा समसपुर मार्ग पर बाढ़ से क्षतिग्रस्त मार्ग को पूर्व दशा में लाने हेतु	61.43	15.3575
2	काजीबांस मार्ग पर बाढ़ से क्षतिग्रस्त मार्ग को पूर्व दशा में लाने हेतु	74.04	18.51
3	ढिक्का कला मार्ग पर बाढ़ से क्षतिग्रस्त मार्ग को पूर्व दशा में लाने हेतु	53.09	13.2725
4	से लोधीपुर मार्ग पर बाढ़ से क्षतिग्रस्त मार्ग को पूर्व दशा में लाने हेतु	59.40	14.85
5	से ढिक्का टपरी मार्ग पर बाढ़ से क्षतिग्रस्त मार्ग को पूर्व दशा में लाने हेतु	87.97	21.9925
	योग -	335.93	83.9825

3- इस सम्बन्ध में जिलाधिकारी के पत्र संख्या-693 एवं 694/ सी०आर०एफ०/दैवी आपदा लिपिक/2014-15, दिनांक 01.12.2014 द्वारा किये गये अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुये प्रस्तर-1 में उल्लिखित लोक निर्माण विभाग के 15 कार्यों हेतु द्वितीय किश्त की 50 प्रतिशत धनराशि रू० 1,87,70,000/- तथा प्रस्तर-2 में उल्लिखित 5 सड़कों हेतु द्वितीय किश्त की 75 प्रतिशत धनराशि रू० 2,51,94,750/- अर्थात् कुल रू० 4,39,64,750/- (रूपये चार करोड़ उन्तालिस लाख चौंसठ हजार सात सौ पचास मात्र) द्वितीय किश्त के रूप में निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन निम्न विवरण के अनुसार वर्तमान वित्तीय वर्ष 2014-15 में आपके निर्वर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

1- उक्त स्वीकृति के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-51 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक " 2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत-आयोजनेत्तर-05-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड-800-अन्य व्यय-03-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से व्यय-42-अन्य व्यय" के नामे डाला जायेगा ।

2- बाढ़ से तात्कालिक प्रकृति की अपरिहार्य परिस्थितियों वाले अर्ह एवं अनुमन्य श्रेणी की क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसम्पत्तियों की आगामी वर्षा के पूर्व पुनर्निर्माण/पुनर्स्थापना/मरम्मत मद में धनराशि निर्धारित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन ही व्यय की जायेगी। इस धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका

एवं अन्य सुसंगत नियमों/शासकीय निर्देशों के अधीन ही किया जायेगा। इस धनराशि का उपयोग अन्य किसी भी विभागीय कार्य हेतु कदापि न किया जाय। जिलाधिकारी द्वारा पुनः यह भी देख लिया जाय कि सन्दर्भित कार्यों के परिप्रेक्ष्य में आगणन की जाँच सक्षम स्तर पर कर ली गयी है तथा वह समस्त मानकों को पूर्ण करते हैं। शासनादेश संख्या-2660/1-10-2012-रा0-10-33(171)/12, दिनांक 25.10.2012 द्वारा दिये गये निर्देशानुसार तात्कालिक मरम्मत/पुनर्निर्माण/पुनर्स्थापना हेतु प्रस्तावों/कार्यों में किसी अन्य विभाग से धनराशि प्राप्त न होने का कार्यदायी विभाग से प्रमाण पत्र प्राप्त करते हुये ही अवमुक्त धनराशि व्यय की जाय। स्वीकृत कार्यों की गुणवत्ता के साथ पूर्ण कराने का उत्तरदायित्व सम्बन्धित कार्यदायी विभाग/जिलाधिकारी का होगा। प्राक्कलित लागत के सापेक्ष वास्तविक आंकलित लागत का ही धनावंटन किया जायेगा। उक्त के अतिरिक्त बाढ़/अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसम्पत्तियों की मरम्मत/पुनर्स्थापना हेतु राज्य आपदा मोचक निधि से धनराशि आवंटन की प्रक्रिया/मार्ग निर्देश विषयक शासनादेश संख्या-70/1-10-2014-33(94)/2014, दिनांक 23.01.2014 में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन कराते हुये विषयगत मामले/सन्दर्भित कार्यों के बारे में अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही की जायेगी। यह धनराशि इस शर्त के साथ आवंटित की जा रही है कि उक्त कार्यों को कराये जाने के सम्बन्ध में उक्त शासनादेश दिनांक 23.01.2014 का अनुपालन सुनिश्चित कराया जायेगा।

3- उक्त धनराशि का व्यय शा0प0सं0-78/पीएसआर/2012, दिनांक 24.01.2012 के साथ संलग्न पत्र संख्या-32-7/2011-एनडीएम-1, दिनांक 16.01.2012 में भारत सरकार की गाइड लाइंस में निर्धारित एवं अर्ह मानक मदों एवं शासनादेश संख्या-2785/1-10-2011/12(73)/2008, दिनांक 14.10.2011 के अनुसार किया जायेगा। उक्त के अतिरिक्त शासन के पत्र संख्या-317/1-11-2013, दिनांक 21.06.2013 को संलग्न किया गया है, जिसमें कई मानक मदों की दरों में संशोधन किया गया है, जो दिनांक 01.03.2013 से प्रभावी हैं, का भी अनुपालन किया जायेगा।

4- बाढ़/अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसम्पत्तियों की तात्कालिक मरम्मत/रेस्टोरेशन की उक्त परियोजनाओं को तात्कालिक रूप से पूर्ण कर लिया जाये। राज्य आपदा मोचक निधि की धनराशि का व्यय सक्षम अधिकारी द्वारा वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त नियमानुसार प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करते हुये निर्धारित अवधि के अन्दर किया जायेगा। तात्कालिक प्रकृति के अपरिहार्य परिस्थितियों वाले मरम्मत/रेस्टोरेशन कार्यों की परियोजनाओं को खण्डों में कदापि विभाजित नहीं किया जायेगा, अपितु निरन्तरता वाले विभिन्न परियोजनाओं को एक ही परियोजना माना जायेगा।

5- उपरोक्त परियोजनाओं के कार्य मानक एवं गुणवत्तापूर्ण कराया जाना सुनिश्चित करने के लिए कार्य की समय-समय पर वीडियोग्राफी/फोटोग्राफी भी करायी जाय तथा उनकी प्रति सीडी शासन को उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित की जाय।

6- कतिपय प्रकरणों में यह भी देखने में आया है कि आवंटित धनराशि एकमुश्त किसी सरकारी विभाग या स्थानीय प्राधिकारी को हस्तगत कराकर अपने कर्तव्य की इति श्री कर ली जाती है। यह स्थिति उचित नहीं है। निधि से प्रदत्त धनराशि आपदा राहत हेतु प्रदान की जाती है। अतः आपदा के अनुसार राहत की आवश्यकता का निर्धारण करना तदनुसार धन उपलब्ध कराना तथा इसका सदुपयोग सुनिश्चित कराना व्यय का पूर्ण विवरण शासन को निर्धारित तिथि तक उपलब्ध कराना जिलाधिकारी का कर्तव्य है। अतः राज्य आपदा मोचक निधि से प्रदत्त धनराशि का प्रत्येक स्तर पर पूर्ण सजगता के साथ समुचित प्रयोग सुनिश्चित किया जाय।

7- राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशि का जिला स्तर पर समुचित लेखा-जोखा रखा जाय तथा माह के अन्त में लेख रजिस्टर जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाय और मदवार मासिक व्यय विवरण शासनादेश संख्या-1693/1-11-2005-रा0-11, दिनांक 20.06.2005 द्वारा प्रसारित प्रारूप पर अगले

माह की 05 तारीख तक उपलब्ध कराने के साथ ही उक्त तिथि तक इसे राहत आयुक्त की वेबसाइट एचटीटीपी//राहत.यू0पी0.एनआईसी.इन पर भी फीड करवाना सुनिश्चित किया जाय। राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशियों के उपयोग/समर्पण के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-यू0ओ0-2/1-11-2013-रा0-11, दिनांक 04.03.2013 में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन किया जायेगा। शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि में से यदि कोई बचत/अवशेष की स्थिति बनती है तो उसे वित्तीय वर्ष के समापन/दिनांक 31 मार्च, 2015 से पूर्व शासन को नियमानुसार समर्पित कर दिया जाये।

8- उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण-पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-369 एच के अधीन निर्धारित प्रारूप संख्या-42 आई में शासन को तुरन्त उपलब्ध कराया जाये।

9- व्यय की गयी धनराशि महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाये और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाय।

भवदीया,
20/11/15
(लीना जोहरी)

सचिव एवं राहत आयुक्त।

संख्या:1128(1)/1-10-2014, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार-प्रथम/आडिट प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद।
- 2- प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
- 3- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ0प्र0 लखनऊ।
- 4- आयुक्त, सहारनपुर मण्डल, सहारनपुर।
- 5- प्रमुख अभियन्ता लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
- 6- निजी सचिव, प्रमुख सचिव राजस्व तथा सचिव एवं राहत आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
- 7- उप निदेशक सामान्य एन0आई0सी0 योजना भवन, लखनऊ को राहत की वेबसाइट एचटीटीपी//राहत.यू0पी0.एनआईसी.इन पर अपलोड किये जाने हेतु।
- 8- वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त, संगठन, उ0प्र0।
- 9- मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी सहारनपुर।
- 10- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-5
- 11- समीक्षा अधिकारी (लेखा)/समीक्षा अधिकारी, राजस्व अनुभाग-10/राहत वेबसाइट के उपयोगार्थ
- 12- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
मदन मोहन
(मदन मोहन)
अनु सचिव।